मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर 2012-भाद्र 16, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खंडपीठ के समक्ष

(मूल कम्पनी क्षेत्राधिकार)

कम्पनी याचिका क्र. 18/2012

कम्पनी याचिका (आवेदन) क्र. 12/2012 के साथ

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391- 394 के मामले में

एवं

केटी-टी कंस्ट्रक्शन्स (इंडिया) लिमिटेड, कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एवं कल्याण होल्डिंग्स प्रायवेट लिमिटेड के मध्य प्रबंध योजना के मामले में

एवं

के मामले में:

केटी-टी कंस्ट्रक्शन्स (इंडिया) लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 15/3, मनोरमागंज, इन्दौर-452 001.	याचिकाकर्ता क्र. 1/ अंतरक क्र. 1
कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय विद्या दीप, 15/3, मनोरमागंज, इन्दौर-452 001.	याचिकाकर्ता क्र. 2/ अंतरिती क्र. 1
कल्याण होल्डिंग्स प्रायवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 15/3, मनोरमागंज, इन्दौर-452 001.	याचिकाकर्ता क्र. 3/ अंतरिती क्र. 2

याचिका की सूचना

उपरोक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 के अंतर्गत दिनांक 02 जुलाई, 2012 को, **केटी-टी कंस्ट्रक्शन्स (इंडिया) लिमिटेड (अंतरक कम्पनी), कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एवं कल्याण होल्डिंग्स प्रायवेट लिमिटेड (अंतरिती कम्पनियां)** के मध्य प्रबंध योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की गई है तथा उपरोक्त याचिका को

दिनांक 26 सितम्बर, 2012 को माननीय कम्पनी न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित किया गया है.

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त याचिका का समर्थन या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह व्यक्ति याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक को इस आशय की सूचना, अपना नाम व पता सहित या अपने अभिभाषक के माध्यम से सुनवाई दिनांक से 2 दिन पूर्व भिजवाये, यदि वह आपत्ति करता है तो आपत्ति करने का कारण शपथ-पत्र की प्रतिलिपि सहित सूचना-पत्र के साथ भिजवाये एवं यदि ऐसा व्यक्ति याचिका की प्रति प्राप्त करना चाहता हो तो याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है.

इन्दौर :

दिनांक 27 अगस्त, 2012.

जतिन सहगल,
अभिभाषक,
तर्फे याचिकाकर्ता कम्पनियां,
304, जे. वी. कॉम्पलेक्स,
2/13 रेसकोर्स रोड, इन्दौर-450 001(म. प्र.).

(121-बी.)

अन्य सूचनाएं

आम सूचना

हर खासो आम को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा फर्म मेसर्स अम्बिका स्टोन इण्डस्ट्रीज ग्वालियर पार्टनर शिप फर्म में दिनांक 25 अगस्त, 2012 को निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है. फर्म मेसर्स अम्बिका स्टोन इण्डस्ट्रीज ग्वालियर, पता- द्वितीय तल गनेश कॉम्पलेक्स चेतकपुरी झांसी रोड मध्यप्रदेश के नाम से संचालित हो रही है. जिसका पंजीयन क्रमांक- 02/42/01/00029/12, सन् 2012-2013 है तथा उपरोक्त फर्म में निम्न भागीदार (1) श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री रामअवतार शर्मा, निवासी क्वा न. 48 बिड़ला नगर ग्वालियर, (2) मुकेश सिंह राठौर पुत्र स्व. श्री रणवीर सिंह राठौर निवासी - सी-8/बी द्वारका पुरी पुराना ग्वालियर,(3) अभय सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह निवासी- 201 तानसेन नगर, हजीरा रोड, ग्वालियर, (4) श्री भूषण सूरी पुत्र स्व. श्री उत्तम चंद सूरी निवासी-एम-17, गांधी नगर ग्वालियर सम्मिलित थे. फर्म के एक भागीदार अभय सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह निवासी- 201 तानसेन नगर हजीरा रोड ग्वालियर, दिनांक 25 अगस्त, 2012 से फर्म से अलग हो गये हैं और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी का रुपया प्राप्त कर लिया है इसलिये अब अभय सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह निवासी - 201 तानसेन नगर हजीरा रोड ग्वालियर का उपरोक्त फर्म से एवं फर्म की सम्पत्ति से दिनांक 25 अगस्त, 2012 से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है. अब वर्तमान में फर्म के शेष भागीदारों ने दिनांक 25 अगस्त, 2012 से फर्म में एक नवीन भागीदार श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह निवासी- 201 तानसेन नगर हजीरा रोड ग्वालियर को सम्मिलित कर लिया है अब उपरोक्त फर्म में वर्तमान के भागीदार अपने-अपने द्वारा निवेश की गई पूंजी के अनुसार लाभ व हानि के भागीदार होंगे तदानुसार सर्वसाधारण सूचित हो.

2. फर्म का पंजीकृत कार्यालय पुराने पते द्वितीय तल गनेश कॉम्पलेक्स चेतक पुरी झांसी रोड मध्यप्रदेश पर ही रहेगा.

राजीव गर्ग (एडवोकेट),
शिवा मेडीकल के सामने, बुद्धोबाई का बाड़ा,
जीवाजी गंज, लश्कर, ग्वालियर.

(130-बी.)

Change in Name

I, Sandhya Arenja, Here by declare that I have change my name as Anjali Arenja W/o Gajendra Arenja. So from now and in future I will be known by my new name

Old Name :

(Sandhya Arenja)

New Name :

(Anjali Arenja)

16/17, Kranti, Kraplani Nagar,
Indore (M.P.).

(122-B.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे Jamna Gupta के नाम से जाना जाता था. शादी के बाद मेरा नाम Babita हो गया है, भविष्य में मुझे Babita मेरे के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :
(जमना गुप्ता)
(Jamna Gupta)

नया नाम :
(बबीता)
(Babita)
पता. —पोस्ट आफिस के सामने सोयतकला,
तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर (म.प्र.).

(123-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम पुष्पा कर्मचंदानी (Pushpa karamchandani) था, मुझे वर्तमान में जूही डेम्बला (Juhi Dembla) के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :
(पुष्पा कर्मचंदानी)
(Pushpa karamchandani)

नया नाम :
(जूही डेम्बला)
(Juhi Dembla)
13, परस्पर सोसायटी, चूना-भट्टी,
कोलार रोड, भोपाल (म. प्र.).

(124-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम सुरेश बाबू कोल्लथ वासुदेवन (Suresh Babu Kollath Vasudevan) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित सुरेश नायर (Suresh Nair) हो गया है. अत: अब मुझे अपने नये नाम उपनाम सहित सुरेश नायर (Suresh Nair) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(सुरेश बाबू कोल्लथ वासुदेवन)
(Suresh Babu Kollath Vasudevan)

नया नाम :
(सुरेश नायर)
(Suresh Nair)
बी-24, A-ऋषिपुरम फेस-1,
बरखेड़ा, भोपाल (म. प्र.).

(125-बी.)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे ANIL JHALA के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था. अब मुझे वर्तमान में ANIL SUTHAR के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(अनिल झाला)
(Anil Jhala)

नया नाम :
(अनिल सुथार)
(Anil Suthar)
पोस्ट एवं ग्राम-कनावटी,
तह. नीमच, जिला नीमच (म. प्र.).

(126-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम Sanjay kumar था. अब मुझे वर्तमान में Sanjay kumar Verma के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(संजय कुमार)
(Sanjay kumar)

नया नाम :
(संजय कुमार वर्मा)
(Sanjay kumar Verma)
56, अमलतास फेज-02,
चूना-भट्टी, कोलार रोड,
जिला भोपाल (म. प्र.).

(127-बी.)

उप नाम परिवर्तन

मैं, बालकिशन पिता श्री भागीरथ राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ हूं.

मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा सरनेम अहिरवार हो गया था किन्तु अब मैं अपना सरनेम लड़िया लिखना चाहता हूं.

पुराना नाम :

(बालकिशन अहिरवार)

नया नाम :

(बालकिशन लड़िया)

सागर.

(128-बी.)

CHANGE OF NAME

Be it known that I, Kanhaiya Lal Sahu Father of minor Akshay Sahu whose age about 17 years, doing student and residence of 106, Badjatya Appartment, Navlakha, New Agrawal Nagar, District Indore 452001 (Madhya Pradesh). I, have change my minor son name Akshaya kumar Sahu to Akshay Sahu, now he will be known as Akshay Sahu in future.

Kanhaiya Lal Sahu
(Father)
Address—106, Badjatya Appartment,
Navlakha, New Agrawal Nagar,
District Indore-452001 (M. P.).

(129-B.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती कीर्ति फालके पत्नी श्री संजय फालके निवासी- फालके बाजार, लश्कर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) का विवाह पूर्व नाम कविता सिंह पुत्री श्री अशोक सिंह का विवाह उपरांत मैंने अपना नाम परिवर्तित कर कविता सिंह के स्थान पर कीर्ति फालके रख लिया है. अतः भविष्य में भी मुझे मेरे नाम कीर्ति फालके से ही जाना जावे.

पुराना नाम :

(कविता सिंह)

पुत्री श्री अशोक सिंह

नया नाम :

(कीर्ति फालके)

पत्नि श्री संजय फालके,

निवासी—फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर(म. प्र.).

(130-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री कोमल चावला पुत्र श्री चुन्नीलाल चावला, निवासी—01, एम. आई. जी. सेक्टर-3 ए, साकेत नगर, भोपाल द्वारा अपनी स्वेच्छा से पूर्व प्रचलित नाम कोमल चावला को परिवर्तित करते हुए अपना नवीन नाम कमल चावला पुत्र श्री चुन्नीलाल चावला किया गया है तथा मेरे पक्षकार द्वारा वर्तमान में जो भी संव्यवहार किया जाता है वह अपने नवीन नाम कमल चावला के आधार पर निष्पादित किये गये हैं.

अतः हर आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री कोमल चावला द्वारा अपना नाम परिवर्तित करते हुये कमल चावला किया गया है. आज से मेरा पक्षकार कमल चावला के नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा तथा उसके द्वारा जो भी कार्य एवं कार्यवाही की जावेंगे वे कमल चावला नाम के आधार पर सम्पादित किये जावेंगे.

विरेन्द्र दीक्षित,
अधिवक्ता,
सी-79, पटेल नगर, रायसेन रोड,
भोपाल (म. प्र.).

(133-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री कु. प्रियम सिंह ने केन्द्रीय विद्यालय ओ. एफ. कटनी (म.प्र.) से कक्षा 10 वीं की परीक्षा वर्ष 2011 में उत्तीर्ण की है. वर्तमान में वह सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 12वीं में जिला कोटा, राजस्थान में अध्ययनरत है जिसका जन्म दिनांक 25 जनवरी, 1996 है एवं नाबालिग है. वर्तमान में मैं, अपनी बच्ची का नाम कु. प्रियम सिंह के स्थान पर कु. प्रिया सिंह कराना चाहता हूं. भविष्य में उक्त संशोधत नाम ही पढ़ने, लिखने एवं सभी लेखीय दस्तावेजों में पढ़ा जावे.

अमर बहादुर सिंह,
पुत्र श्री बिहारी लाल सिंह,
संयुक्त कलेक्टर, (राज्य प्रशासनिक सेवा)
शासकीय आवास कमिश्नर कॉलोनी, मुरैना.

(132-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त, 2012

अल्प अवधि निविदा सूचना

(प्रेस आर्टिकल्स)

क्र.जी. बी. चार/ पी. (1)2012-2013/3085.—मध्यप्रदेश शासन के विभागों के मुद्रण कार्य हेतु उपयोग में आने वाले प्रेस रॉ-मैटीरियल क्रय हेतु सीधे निर्माता या उनके अधिकृत एजेन्ट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से मुहरबंद तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा (पृथक्-पृथक् लिफाफों में) आमंत्रित की जाती है.

2. मध्यप्रदेश शासन के वेबसाईड **www.tenders.gov.in.** एवं **www.govtpressmp.nic.in.** पर टेण्डर फॉर्म एवं निविदा की शर्तें एवं अनुबन्ध का प्रारूप उपलब्ध है.

3. टेण्डर फॉर्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक **21 सितम्बर, 2012** को कार्यालयीन समय अपराह्न 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जानी होंगी. निविदा का टेक्निकल टेण्डर **(Technical Tender)** उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक **21 सितम्बर, 2012** को अपराह्न 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी.

(402)

Bhopal, dated 27th August, 2012

SHORT TENDER NOTICE

(Printing Articles)

No. GB-IV-P (1) 2012-13/3085.—Sealed Tenders Technical & Commercial (separately) are invited for the supply of Printing Raw-materials which has to be used for the different Printing works for the department of Madhya Pradesh Government from manufacturers, their representative or dealer/distributors.

2. The details of the tender documents and the draft of the agreement are available at the website **www.tenders.gov.in.** and **www.govtpressmp.nic.in.**

3. In all respects complete tender document must received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on **21st September, 2012** and the Envelope 'A' of Technical tender will be opened on the same day *i.e.* **21st September, 2012** at 15.00 hours in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

(402-A)

भोपाल, दिनांक 03 सितम्बर, 2012

अल्प अवधि निविदा सूचना

(लेखन, अन्य सामग्री एवं क्राफ्ट पेपर)

क्र.जी. बी. चार/ स्टे. (1) 2012-13/3178.—मध्यप्रदेश शासन के विभागों के उपयोग में आने वाले लेखन, अन्य सामग्री एवं क्राफ्ट पेपर की क्रय हेतु सीधे निर्माता या उनके अधिकृत एजेन्ट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से निविदा मुहरबंद तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा (पृथक्-पृथक् लिफाफों में) आमंत्रित की जाती है.

2. टेण्डर फार्म, निविदा के शर्तें एवं अनुबंध का प्रारूप मध्यप्रदेश शासन के वेबसाईट **www.tenders.gov.in.** एवं **www.govtpressmp.nic.in** पर उपलब्ध है.

3. टेण्डर फॉर्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक **25 सितम्बर, 2012** को कार्यालयीन समय अपराह्न 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जानी होंगी. निविदा का टेक्निकल टेण्डर उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक **25 सितम्बर, 2012** को अपराह्न 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

(404)

Bhopal, dated 3rd September, 2012

SHORT TENDER NOTICE

(Stationery, other Articles & Craft Paper)

No. GB-IV-sty. (1) 2012-13/3178.—Sealed Tenders Technical & Commercial (seperately) are invited for the supply of Stationery, other Articles and Craft Paper which has to be used for the different departments of Madhya Pradesh Government from manufacturers, their representative or dealer/distributors.

2. The details of the tender documents, terms of tender and the draft of the agreement are available at the website **www.tenders.gov.in** and **www.govtpressmp.nic.in.**

3. In all respects complete tender document must received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on **25th September, 2012** and the Envelope 'A' of Technical tender will be opened on the same day *i.e.* **25th September, 2012** at 15.00 hours in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

HEERALAL TRIVEDI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(404-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

"श्री राम मंदिर कसेरा समाज ट्रस्ट (धार्मिक एवं सामाजिक न्यास)इन्दौर" कार्यालय 278/1, पिलियाखाल,एरोड्रम रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री गोपालदास पिता बालकिशन कसेरा, निवासी 58, पंचवटी नगर, एरोड्रम रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	''श्री राम मंदिर कसेरा समाज ट्रस्ट (धार्मिक एवं सामाजिक न्यास)इन्दौर''
पता	:	278/1, पिलियाखाल,एरोड्रम रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार, मात्र)

आज दिनांक 13 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,
(390) रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्ररूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि ''भानेश्वर लोक न्यास'' द्वारा श्री रघुनंदन शर्मा पिता श्री गौरीशंकर शर्मा, निवासी—ई-8/18, दानापानी रेस्टारेन्ट के पास, अरेरा कालोनी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 21 सितम्बर, 2012 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों, और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम	..	''भानेश्वर लोक न्यास''
2.	अचल सम्पत्ति	..	निरंक
3.	चल सम्पत्ति	..	1,000/- रुपये.

सुनील दुबे,
(403) रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,
   जागृति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,
   जागृति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/369.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर जागृति ईंधन

सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 860, दिनांक 31 मई, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं :—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षो से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है, तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है, कि जागृति ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,
   राजीव ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.
2. समस्त सदस्यगण,
   राजीव ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/370.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर राजीव ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 1074, दिनांक 12 जुलाई, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं :—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षो से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.

7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है, तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है, कि राजीव ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391-A)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,
   मनीष ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,
   मनीष ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/371.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर मनीष ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 1061, दिनांक 17 जुलाई, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षो से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है, तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है, कि मनीष ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ. कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष

प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है. तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391-B)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,
   जिया ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,
   जिया ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/372.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर जिया ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 881, दिनांक 24 जून, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं.—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षो से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है, तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है, कि जिया ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391-C)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   समर्थ ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   समर्थ ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/373.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर समर्थ ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 882, दिनांक 25 जून, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं.—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षो से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है, तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है, कि समर्थ ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. धिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है. तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   राजधानी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   राजधानी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/374.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर राजधानी ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 1018, दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं.—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षो से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है, तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है, कि राजधानी ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है. तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   हिन्दुस्तान ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   हिन्दुस्तान ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/375.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर हिन्दुस्तान ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 875, दिनांक 21 जून, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं.—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षो से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है, तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है, कि हिन्दुस्तान ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. धिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   महक ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   महक ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/376.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर महक ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 877, दिनांक 22 जून, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं.—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षो से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है, तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है, कि महक ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   गोल्डी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   गोल्डी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/377.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर गोल्डी ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 878, दिनांक 22 जून, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं.—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षो से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है, तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है, कि गोल्डी ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. धिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   केपीटल ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   केपीटल ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/378.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर केपीटल ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 880, दिनांक 24 जून, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि केपीटल ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 02.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391-I)

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   अमन ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   अमन ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/379.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर अमन ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 1052, दिनांक 24 जनवरी, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है, तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि अमन ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. धिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 02.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   नूर ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   नूर ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/380.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर नूर ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 24 जनवरी, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि नूर ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. धिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 02.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   सपना ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   सपना ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/381.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर सपना ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 1046, दिनांक 20 जनवरी, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है, तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि सपना सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. धिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 02.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   जनसेवा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   जनसेवा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/382.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर जनसेवा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक 1039, दिनांक 18 जनवरी, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है, कि जनसेवा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त हैं, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 02.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391-M)

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   राष्ट्रीय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   राष्ट्रीय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/383.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक 1023, दिनांक 06 जनवरी, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि राष्ट्रीय ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त है, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ. कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है. तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   गौरव ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   गौरव ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/384.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर गौरव ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक 1028, दिनांक 06 जनवरी, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि गौरव ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त है, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ, कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है. तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391-O)

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   ओम ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   ओम ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/385.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर ओम ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक 1031, दिनांक 11 जनवरी, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं :—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि ओम ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त है, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ. कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है. तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तद्नुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391-P)

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   आयशा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   आयशा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/386.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर आयशा ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 1033, दिनांक 13 जनवरी, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि आयशा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. धिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त है, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ. कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है. तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   आदर्श ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   आदर्श ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/387.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर आदर्श ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक 1034, दिनांक 14 जनवरी, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि आदर्श ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. धिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त है, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ. कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है. तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391-R)

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   सागर ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   सागर ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/388.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर सागर ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल पंजीयन क्रमांक 1037, दिनांक 17 जनवरी, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि सागर ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. धिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त है, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ. कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है. तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391-S)

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   परशुराम ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   परशुराम ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/389.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर परशुराम ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक 1009, दिनांक 07 अक्टूबर, 2004 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि परशुराम ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त है, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ. कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है. तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391-T)

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   माँ दुर्गा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   माँ दुर्गा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/390.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर माँ दुर्गा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक 1062, दिनांक 07 जुलाई, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि माँ दुर्गा ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त है, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ. कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है. तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391-U)

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   बैरसिया ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   बैरसिया ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/391.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर बैरसिया ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक 861, दिनांक 06 जून, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि बैरसिया ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त है, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ. कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391-V)

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   ज्योति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   ज्योति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/392.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर ज्योति ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक 884, दिनांक 25 जून, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि ज्योति ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त है, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ. कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   सिगमा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   सिगमा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/393.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर सिगमा ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक 871, दिनांक 20 जून, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि सिगमा ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. धिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त है, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ. कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(391-X)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष,

   शिवम् ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

2. समस्त सदस्यगण,

   शिवम् ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

क्र./परि./2012/394.— उप-पंजीयक (अंके.) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर शिवम् ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक 1069, दिनांक 17 जुलाई, 2005 के संबंध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये हैं:—

1. सहकारी विधान अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है तथा न ही पता परिवर्तन करने की कोई सूचना कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को दी गई है.
3. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या अक्रियाशील होकर बंद हो गई है.
4. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था पंजीयन दिनांक से उपविधि की शर्तानुसार समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था विगत कई वर्षों से उसके वार्षिक लेखा-पत्रक तथा वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं करने से अंकेक्षण कराने में असमर्थ रही है.
7. संस्था आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं रह गई है तथा अपने सदस्यों का हित संवर्धन करने में पूर्णत: असफल सिद्ध हुई है.

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि शिवम् ईंधन सहकारी संस्था मर्या. भोपाल का आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर पंजीकृत कराया गया है. संस्था का निगमित निकाय के रूप में विद्यमान रखना सदस्यों के हित में नहीं है. अत: उपरोक्त कारणों के आधार पर संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत क्यों न निरस्त कर दिया जावे.

अत: मैं, आर. सी. घिया, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/15-1/क, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त है, का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र ज्ञात पते पर अथवा समाचार-पत्र व राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर अपेक्षित करता हूँ कि संस्था की समिति एवं समस्त सदस्यों को उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो अपना पक्ष मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो संबंधित सभी दिनांक 23 मई, 2012 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 2.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं.

निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि प्रस्तावित कार्यवाही से किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, तदानुसार अंतिम आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

आर. सी. घिया,
संयुक्त पंजीयक.

(391-Y)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी

सिवनी, दिनांक 22 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/681.— कार्यालयीन सूचना पत्र क्र./उपसि/परि./593, दिनांक 28 मई, 2012 के द्वारा शिवानी बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 776, विकासखंड व जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए शिवानी बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 776, विकासखंड सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्रीमती शिवानी ताराम, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(392)

सिवनी, दिनांक 22 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/682.— कार्यालयीन सूचना पत्र क्र./उपसि/परि./583, दिनांक 24 मई, 2012 के द्वारा प्रियदर्शनी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 462, विकासखंड व जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए प्रियदर्शनी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 462, विकासखंड सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्रीमती शिवानी ताराम, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(392-A)

सिवनी, दिनांक 22 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/683.— कार्यालयीन सूचना पत्र क्र./उपसि/परि./592, दिनांक 28 मई, 2012 के द्वारा राजीव गांधी मछुआ सहकारी समिति मर्या., कोहका, पं. क्र. 666, विकासखंड कुरई, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए राजीव गांधी मछुआ सहकारी समिति मर्या., कोहका, पं. क्र. 666, विकासखंड कुरई को परिसमापन में लाता हूँ, तथा श्रीमती अभिलाषा दवंडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कुरई को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(392-B)

सिवनी, दिनांक 25 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./2012/689.— कार्यालयीन सूचना पत्र क्र./उपसि/परि./2012/582, दिनांक 24 मई, 2012 के द्वारा अभिषेक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 508, विकासखंड व जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष व प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. दिनांक 11 जून, 2012 को संस्था सचिव द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो कार्य संस्था द्वारा करना चाहा गया है, वह परिसमापक भी कर सकता है.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99- पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए अभिषेक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 508, विकासखंड व जिला सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्रीमती शिवानी ताराम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सिवनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(392-C)

सिवनी, दिनांक 26 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/690.— कार्यालयीन सूचना पत्र क्र./उपसि/परि./594, दिनांक 28 मई, 2012 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिवनी पं. क्र. 80, विकासखंड व जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 को द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 80, विकासखंड सिवनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्रीमती शिवानी ताराम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सिवनी को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(392-D)

सिवनी, दिनांक 29 जून, 2012

क्र./उपसि/परि./11/711.— श्री माया गुड़िया सिलाई सहकारी समिति, सिवनी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि/परि./633, दिनांक 28 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्रीमती शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रगट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17-1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99- पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए श्री माया गुड़िया सिलाई सहकारी समिति मर्या.,, सिवनी, पंजीयन क्रमांक 806 का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एन. सिंह,
उप-पंजीयक.

(392-E)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर-2012-भाद्र 16, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 23 मई, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) **0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.**—जिला ग्वालियर (ग्वालियर), उज्जैन (उज्जैन), हुजूर (भोपाल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला शहडोल, नीमच, धार, प. निमाड़, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, रायसेन, बैतूल, हरदा, डिण्डोरी तथा सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, सागर, सतना, शहडोल, राजगढ़, भोपाल तथा बैतूल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23 मई, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) बाजरा, सोयाबीन,गेहूँ, राई-सरसों	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .		समान.		
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गन्ना कम	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	1.0		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		मूँगफली अधिक. तिल कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) . .		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		अलसी समान.		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ सुधरी	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .		हुई.		
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. सारंगपुर	. .				
7. पलेरा	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. ओरछा	. .				
10. लिधौरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1)मक्का,सोयाबीन, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		मसूर, मटर, प्याज अधिक. धान,ज्वार	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		बाजरा, तुअर, उड़द, मूंग, तिल,गेहूँ,		
4. पवई	. .		जौ, अलसी, आलू कम.		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, अलसी, राई-सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		मसूर, तिवड़ा, मटर, आलू प्याज		
4. सागर	. .		समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उड़द, मूँग, गन्ना सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अलसी अधिक. मसूर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सेमरिया	. .		(2) . .		
4. मऊगंज	. .				
5. मनगवां	. .				
6. हनुमना	. .				
7. हजूर	. .				
8. गुढ़	. .				
9. रायपुरकर्चुलियान	. .				
10. जबा	. .				
11. नईगढ़ी	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		मसूर, मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) . .		
4. जैतपुर	. .				
5. बुढ़ार	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. . .	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) अलसी, राई-सरसों, मटर,		
3. मझौली	. .		. मसूर, चना, लाख, तिवड़ा, गेहूँ,		
4. कुसमी	. .		जौ समान.		
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी अधिक. तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		मसूर, आलू, जौ, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		(2) . .		
***जिला मन्दसौर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुबासरा-टप्पा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धडका	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	1.0				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		मसूर, आलू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .		(2) . .		
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) प्याज अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
***जिला झाबुआ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. भाभरा	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राणापुर	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		तुअर, गेहूँ, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		(2) . .		
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
9. वरला	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, गन्ना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	0.8		अधिक.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .		
3. आष्टा	. .				
4. जावर	. .				
5. इछावर	. .				
6. नसरुल्लागंज	. .				
7. बुधनी	. .				
8. रेहटी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, मटर अधिक. जौ, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		तिवड़ा, सरसों, अलसी, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल की जुताई का	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .	कार्य चालू है	4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचौली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आमला	. .				
8. आठनेर	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
4. हण्डिया	. .				
5. रहटगांव	. .				
6. सिराली	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) गेहूँ, अलसी, चना सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, गेहूँ, मसूर, चना,मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर, कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेडा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला अशोकनगर, गुना, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(389)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.